



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 410]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 16, 2012/श्रावण 25, 1934

No. 410]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 16, 2012/SHRAVANA 25, 1934

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2012

सा.का.नि. 634(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कारपोरेट कार्य मंत्रालय, कनिष्ठ तकनीकी सहायक, समूह 'ख' अराजपत्रित पद भर्ती नियम, 2011 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम कारपोरेट कार्य मंत्रालय, कनिष्ठ तकनीकी सहायक, समूह 'ख' अराजपत्रित पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2012 है।

2. कारपोरेट कार्य मंत्रालय, कनिष्ठ तकनीकी सहायक, समूह 'ख' अराजपत्रित पद भर्ती नियम, 2011 की अनुसूची के स्तंभ 12 में विद्यमान प्रविष्टि "प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा" के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“टिप्पण—कनिष्ठ तकनीकी सहायक की श्रेणी में प्रोन्नति के लिए पात्रता सेवा, इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख को नियमित आधार पर पोषक पद (उच्च श्रेणी लिपिक या अधीक्षक श्रेणी-III) धारण करने वाले व्यक्तियों की बाबत आठ वर्ष होगी।”

[फा. सं. ए-12011/04/2010-प्रशा.-II]

अ. कु. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 577(अ), तारीख 25 जुलाई, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th July, 2012

G.S.R. 634(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Corporate Affairs, Junior Technical Assistant, Group 'B' Non-Gazetted Posts Recruitment Rules, 2011, namely :—

1. These rules may be called the Ministry of Corporate Affairs, Junior Technical Assistant -Group 'B', Non-Gazetted Posts Recruitment (Amendment) Rules, 2012.

2. In the Ministry of Corporate Affairs, Junior Technical Assistant - Group 'B', Non-Gazetted Posts Recruitment Rules, 2011, in the Schedule, in Column 12, relating to "In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made", after the existing entry, the following shall be inserted, namely :—

“Note— The eligibility service for promotion, to the grade of Junior Technical Assistant, shall be eight years, in respect of persons holding feeder posts (of UDC or Superintendent Grade III), on regular basis, on the date of coming into force of these rules.”

[F. No. A-12011/04/2010-Ad.II]

A. K. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published vide Notification No. G.S.R. 577(E), dated the 25th July, 2011.